

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक :- 9(सू०अधि०)-65/2015 4743 /ग्रा०वि०,राँची, दिनांक- 8.9.15

प्रथम अपील संख्या- 03/2015

श्री प्रदीप कुमार धवन के प्रथम अपील आवेदन पत्र के आलोक में मामले की प्रथम सुनवाई 31/08/2015 को की गयी। सुनवाई में प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

द्वितीय पक्ष उप विकास आयुक्त, हजारीबाग द्वारा भी सुनवाई में भाग नहीं लिया गया और न कोई सूचना ही उपलब्ध करायी गई।

विभागीय अवर सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उप विकास आयुक्त, हजारीबाग से याचित सूचना अप्राप्त है।

मामले की अगली तिथि- 15.09.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे निर्धारित की जाती है।

1/11/15
-579/15
(सियाशरण पासवान)
संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 9(सू०अधि०)-65/2015 4743 /ग्रा०वि०,राँची, दिनांक- 8.9.15

प्रतिलिपि :- उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया उक्त तिथि को उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाय।

1/11/15
-579/15
संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 9(सू०अधि०)-65/2015 4743 /ग्रा०वि०,राँची, दिनांक- 8.9.15

प्रतिलिपि :- श्री प्रदीप कुमार धवन, C/o श्री हीरा लाल सिंह, ग्राम-परासी, पोस्ट- ईचाक, जिला- हजारीबाग, पिन- 825402 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उक्त तिथि को उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाय। अन्यता मामले का निष्पादन नियमानुसार कर दिया जायेगा।

1/11/15
-579/15
संयुक्त सचिव-सह-

SPEED
POST